28-03-24	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार [illegible] से जांच रिपोर्ट प्राप्त। मिसल दिनांक 07-05-24 को पेश हो।
07-05-24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप. तहसीलदार चूरू से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी ने बहस हेतु समय चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 06-06-24 को पेश हो।
06-06-24	पत्रावली पेश हुई/राजस्व मण्डल अजमेर/बार संघ/चूरू कारण से पत्रावली दिनांक 04-07-24 को पेश हो।
04-07-24	पत्रावली पेश हुई/राजस्व मण्डल अजमेर/बार संघ/चूरू कारण से पत्रावली दिनांक 22-08-24 को पेश हो।
22-08-24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप. बहस हेतु समय चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 20.09-24 को पेश हो।
20/09/24	पत्रावली पेश हुई/राजस्व मण्डल अजमेर/बार संघ/चूरू कारण से पत्रावली दिनांक 7/10/24 को पेश हो।
07-10-24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी को बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1487/1002, 1488/1003 में अंकित वादी का नाम रोही गांव जाट रतननगर गोरधनराम के स्थान पर गोरधन जाट घोषित किया जावे। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। [illegible] किया गया। बाद [illegible] पत्रावली का [illegible] जमाबंदी खेत पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] ग्राम खसरा नम्बर [illegible] रतननगर के वादी का नाम गोरधनराम है। [illegible] वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पैन [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:19:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व निर्णायक नामावली आदि मे गोरधन जार जांच रिपोर्ट तहसीलदार मे वादी का नाम गोरधन राम के स्थान पर गोरधन जार किये जाने की अनुशंसा की है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों मे गोरधन जार व राजस्व रिकॉर्ड मे गोरधन राम होने से उसे राजकीय योजनाओं मे सरकारी योजनाओ का लाभ लिये जाने मे परेशानी स्वभाविक है। इस प्रकार के परिवर्तन से किसी प्रकार की राजकीय हानी होने की सम्भावना नही है। अत: प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर वारगत कृषि भूमि रोही ग्राम रतननगर खेत खसरा नम्बर 1487/1002, 1488/1003 की जमबंदी मे अंकित वादी का नाम गोरधनराम के स्थान पर गोरधन जार किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पूगल उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से बाद जाब्ता दाखिल [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:19:34 IST
Reason: SelfAttested